दिल्ली विकास प्राधिकरण
समन्वय (आवास)
विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली

परिपत्र

सं. एफ/1/0001/2025/सीओआरडी/-ओ/ओ डीडी (समन्वय) दिनांक: 06.01.2025

विषय: **दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों एवं पीएम विश्वकर्मा योजना** में पंजीकृत लोगों के लिए **25% छूट के साथ 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार** पर **डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 का शुभारंभ।**

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने **दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत** भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए **25% छूट के साथ** डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 की घोषणा की है। **यह ऑफर उन श्रमिकों के लिए है जो** दिनांक **31.12.2024** को या उससे पहले बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, **पीएम विश्वकर्मा योजना** के अंतर्गत सभी पंजीकरणकर्ता भी इस छूट के लिए पात्र हैं।

योजना का मुख्य विवरण:

- **पात्र आवेदक** : भवन एवं निर्माण श्रमिक जो दिनांक **31.12.2024 को** या उससे पहले **दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकृत हैं।**
- **पीएम विश्वकर्मा योजना** के अंतर्गत सभी पंजीकरणकर्ता भी इस छूट प्रस्ताव के लिए पात्र हैं।
- **आबंटन प्रक्रिया** : आबंटन लॉटरी के माध्यम से नहीं होगा बल्कि **पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के** आधार पर होगा।
- **पंजीकरण और बुकिंग का माध्यम** : पंजीकरण और बुकिंग केवल डीडीए की वेबसाइट https://eservices.dda.org.in के माध्यम से **ऑनलाइन की जा सकती है:**
- **ऋण वित्तपोषण** : विभिन्न वित्तीय संस्थानों से आसान ऋण वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक फिनटेक कंपनी, एएमबीएके, ने डीडीए के साथ मिल कर काम करेगी।

महत्वपूर्ण तिथियां:

- पंजीकरण आरंभ: **06.01.2025**
- बुकिंग आरंभ: **15.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से**
- योजना बंद होने की तिथि: **31.03.2025**

- आवेदकों को बुकिंग से पहले साइट पर फ्लैटों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ग्राहक सहायता :

- इच्छुक खरीददार **डीडीए हेल्पलाइन 1800-011-0332** पर संपर्क कर सकते हैं ।
- सभी प्रश्नों के उत्तर हेतु सहायता के लिए **राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर** डीडीए **कियोस्क** उपलब्ध है ।
- आगे की सहायता के लिए **डीडीए मुख्यालय, विकास सदन में** एक **समर्पित हेल्पडेस्क** स्थापित किया गया है ।
- इच्छुक खरीददारों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पूरी दिल्ली में **शिविर आयोजित किए जाएंगे।**

पंजीकरण एवं बुकिंग विवरण:

- पंजीकरण शुल्क: **रु. 2500/-**
- बुकिंग शुल्क: **रु. 50,000/-**
  *नोट: दोनों शुल्क **वापसी योग्य नहीं हैं।***

- **आवश्यक दस्तावेज** : कब्जा पत्र जारी होने से पहले, आबंटितियों को ईडब्ल्यूएस स्थिति के समर्थन में आय प्रमाण पत्र और जैसा भी मामाला हो,**दिल्ली भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के साथ पंजीकरण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य** या पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ पंजीकरण के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 के ब्रोशर में निर्धारित अन्य दस्तावेज ।

- **प्रस्तावित इन्वेंट्री का विवरण.**

क्र. सं.	**स्थान**	**फ्लैट श्रेणी**	**फ्लैटों की संख्या ***	**प्लिंथ एरिया की अनुमानित सीमा (वर्ग मीटर)****	**संभावित मूल्य की विस्तृत सीमा (रु. लाख में)*****	**प्रस्तावित छूट (25% छूट) के बाद कीमत लाख रुपये में**
1	**नरेला, पॉकेट 3,4,5,6 सेक्टर** जी2	**ईडब्ल्यूएस**	700	34 से 35.1	11.54 से 11.67	**8.65 से 8.8**

टिप्पणी:

**योजना आरंभ होने के समय फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, तथा किसी विशेष स्थान/क्षेत्र में उपलब्धता के आधार पर फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।*

***प्लिंथ एरिया में सामान्य क्षेत्र शामिल है और यह प्रत्येक फ्लैट में भिन्न हो सकता है।*

****मांग पत्र प्रत्येक फ्लैट के वास्तविक प्लिंथ क्षेत्र के अनुसार जारी किया जाएगा। इसलिए, प्लिंथ एरिया के आधार पर फ्लैटों की निपटान कीमत भिन्न हो सकती है। अनुमानित लागत में* ***पानी के कनेक्शन का शुल्क शामिल नहीं है।***

2. **नियम एवं शर्तें:**

" डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 (एफसीएफएस) " ब्रोशर के अनुसार इस योजना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें वही रहेंगी ।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कुणाल कश्यप
आयुक्त (आवास)

नोट :यदि कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा